जनवरी,2018 के महत्वपूर्ण प्रयास .....

* महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर एवं आयुक्त, नगर-निगम को पत्र प्रेषित, निगम द्वारा सम्पत्ति कर के माध्यम से अवैध उपकर राशि वसूल किए जाने का विरोध करते हुए, निगम द्वारा वसूल किए जा रहे उपकरों की राज्य सरकार से ली गई स्वीकृति से अवगत कराने की माँग की गई है ।

* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, दीनारपुर मण्डी में असामाजिक तत्वों द्वारा भय व्याप्त कर किसानों एवं व्यवसाईयों का शोषण किए जाने की समस्या से अवगत कराते हुए, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने एवं पुलिस चौकी में पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की माँग की गई है ।

* मण्डल रेल प्रबंधक, झाँसी को पत्र प्रेषित कर ग्वालियर से जुड़ी रेलवे संबंधी विभिन्न समस्याओं को दूर किए जाने की माँग की गई ।

* अपर आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर आदर्श मिल रेलवे क्रॉसिंग पर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की माँग की गई है, ताकि इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली जी को पत्र प्रेषित कर, नेशनल कं. लॉ ट्रिब्यूनल ऑफिस की स्थापना ग्वालियर में किए जाने की माँग की गई है ।

* अपर आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर-श्री रिंकेश बैस एवं पुलिस उप अधीक्षक, यातायात, ग्वालियर को चेम्बर में पधारने हेतु आमंत्रण-पत्र प्रेषित किया गया है, ताकि शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था पर बैठक हो सके ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री-श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं उद्योग आयुक्त, म. प्र. को पत्र प्रेषित कर, उद्योगों द्वारा बैंक से कार्यशील पूंजी लेने पर मार्गेज एवं हाईपोथीकेशन पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं बैंक बदलने पर पुनः स्टॉम्प ड्यूटी लिए जाने के संबंध में पत्र में माँग की गई है कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में लगने वाली स्टॉम्प ड्यूटी में राहत प्रदान की जाए एवं इसे पड़ौसी राज्य उत्तरप्रदेश की भांति एक निश्चित स्टॉम्प ड्यूटी तय की जाए । साथ ही, उद्यमी द्वारा बैंक बदलने की स्थिति में पुनः स्टॉम्प ड्यूटी के प्रावधान को समाप्त किया जाए ।

* प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर रीजन में सिंगल एवं थ्री फेस मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की माँग की गई है, ताकि उपभोक्ताओं की परेशानी दूर हो सके एवं विद्युत वितरण कं. को भी पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति हो सके ।

* प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स, श्री पी. के. दास जी के ग्वालियर आगमन के अवसर पर चेम्बर पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर, चेम्बर भवन में पधारने हेतु आमंत्रण-पत्र प्रेषित किया तथा इस अवसर पर एक ज्ञापन श्री दास जी को सौंपा गया । ज्ञापन में मुख्य रूप से आयकर धारा 154 के तहत आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में किए जाने, सेन्ट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर की कमियों को दूर किए जाने, बड़े करदाताओं को स्क्रूटनी के लिए पर्याप्त समय दिए जाने, आयकर विभाग में की गई अपीलों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र किए जाने आदि प्रमुख माँगों का उल्लेख करते हुए समाधान किए जाने की माँग की गई है ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, माननीय श्री अरुण जेटली जी द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट व रेल बजट 2018-19 हेतु कई सुझाव बजट पूर्व ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित किए गए ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं किसान कल्याण व कृषि विकास मंत्री-श्री गौरीशंकर बिसेन को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मंगाए जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क में छूट शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की माँग की गई, ताकि प्रदेश के दाल मिल उद्योग का संकट दूर हो सके ।

* वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–श्री जयंत मलैया जी को पत्र प्रेषित कर, शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री पर बढ़ाए गए 1% शुल्क को वापिस लिए जाने की माँग की गई है, ताकि रियल एस्टेट कारोबार को होने वाले नुक्सान से बचाया जा सके ।

* जिलाधीश, ग्वालियर एवं संयोजक/अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन उपसमिति को कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 2018–19 पर विस्तार से अनेक सुझाव एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं ।

*****